



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 17.09.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1. नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व शिकायत करने पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के 04 आरोपी गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा:-



अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2024 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग भतीजी के साथ आये दिन रास्ते में अश्लील हरकत करके छेड़छाड़ करना तथा बुरी नीयत से हाथ पकड़ लेना व मोबाइल पर बात करने के लिए धमकी देना तथा वादी के द्वारा अभियुक्तगण के घर शिकायत करने जाने पर, वादी को देखते ही गाली गलौच करने व अपने घर के लोगो के साथ मिलकर लाठी डण्डों से लैस होकर एक राय होकर वादी व वादी के परिजनो पर जान से मारने की नीयत से हमला कर देने। जमीन पर गिराकर जान से मारने की नीयत से गला दबा देने के संबंध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0- 410/2024 धारा- 3(5)/109/115(2)/118(1)/75/352/351(3)/ बी0एन0एस0 व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध व अपराधीयो पर प्रभावी अंकुश व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17-09-2024 उ0नि0 प्रवीण कुमार व म0उ0नि0 स्वाति चौधरी थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1.मो० अली पुत्र मकसूद अली 2. आदिल पुत्र मो० अली 3. अजहरुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासीगण ग्राम कमालपुरी थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को हिरासत/निगरानी में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 17.09.2024 को उ0नि0 विवेक कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के वारण्टी 1. विजय प्रसाद पुत्र सुरेश प्रसाद । 2. विशाल पुत्र नवीन आर्या निवासीगण दमआदुगा मल्ला प्लाट थाना काठगोदाम जिला नैनीताल उत्तराखण्ड । सम्बन्धित वारण्टं मुकदमा नं0- 906/2022 धारा- 323/324/504/506/427 भादवि को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

